

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.7(4)विविध/अकाद/निकाशि/2019//20

दिनांक : 18 अगस्त, 2020

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:- Ex-student के प्रवेश बाबत।


उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कोविड-19 के मध्यनजर छात्रहित में महाविद्यालयों के एडमिशन पोर्टल के एडमिन लॉगिन में दिनांक 19.08.2020 से Promote Action खोल दिया जावेगा ताकि Ex-student को अगली कक्षा में पूर्णतया अस्थाई प्रवेश दिया जा सके। Ex-student को भी स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय तथा पी.जी. उत्तरार्द्ध के लिए पात्र मानते हुए दिनांक 21.08.2020 से 31.08.2020 तक अस्थायी प्रवेश कार्य कर ई-मित्र पर फीस जमा करवाना सुनिश्चित करें।

नोट: प्राचार्य Ex-student को फीस जमा करने हेतु दूरभाष पर व्यक्तिशः सूचित करावें।


(संदेश नायक, IAS)
निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. वेबसाईट प्रभारी, निदेशालय कृपया अपलोड करने का श्रम करें।


(डा. दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)